

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2015/माघ 7, 1936

No. 56]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2015/MAGHA 7, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 58(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 96ग में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु 1 फरवरी, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक कृषि ट्रैक्टर और उसके कृषि ट्रेलर में, हाईड्रोलिक ब्रेक प्रणाली रखने वाले कृषि ट्रेलर को सुकर बनाने के लिए नियम 97 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट एआईएस : 043-2005 विनिर्देश के अनुसार निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा, अर्थात् :--

- (क) एक हाईड्रोलिक पंप और वाल्व, जो ट्रैक्टर पर समुचित पाइप से जुड़े हों ;
- (ख) ओईएम द्वारा उपसाधन के रूप में दी गई ट्रैक्टर पर एक हाईड्रोलिक पाइप और दाब लाइन, जो उनके डीलरों द्वारा फिट की जानी है, जो ट्रेलर के लिए हाईड्रोलिक लाइन की निकासी को सुकर बनाने के लिए ट्रैक्टर के पिछले भाग पर समाप्त होती है ;
- (ग) प्रत्येक किस्म और माडल के ट्रैक्टर विनिर्माता द्वारा ट्रैक्टर के पिछले भाग पर एक हाईड्रोलिक पाइप और दाब लाइन के उपलब्ध रहने को मैनुअल में स्पष्टतया विनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (घ) ट्रैक्टर में ट्रेलर ब्रेक संचालन केबल या लिंक को जोड़ने की न्यूनतम व्यवस्था होगी।”।

3. मूल नियमों के नियम 97 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु 1 फरवरी, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक कृषि ट्रेलर में, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस : 043-2005 विनिर्देश के अनुसार कृषि ट्रेलर ब्रेक प्रणाली की अनुपालना के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा, अर्थात् :--

- (क) ट्रेलर पर हाईड्रोलिक ब्रेक प्रणाली या इनर्सिया ओवर-रन ब्रेक प्रणाली जैसे, आधार ब्रेक (ड्रम या डिस्क, आदि) संचालन प्रणाली, जिसके अंतर्गत आनुपातिक या नियंत्रण वाल्व भी है ;
- (ख) समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस : 043-2005 के अनुसार कृषि ट्रेलर ब्रेक प्रणाली का किस्म अनुमोदन।”।

[फा. सं. आरटी-11036/31/2010-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 27(अ), तारीख 13-01-2015 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2015

**G.S.R. 58(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

#### Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (...Amendment) Rules, 2015.  
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 96C, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that every agricultural tractor manufactured on or after 1st January, 2016 and coupled with agricultural trailer, shall meet the following requirements to facilitate agricultural trailer having hydraulic brake system as per AIS:043-2005 specification referred to in sub-rule (3) of rule 97, namely:-

- (a) a hydraulic pump and valve with suitable pipe connections on the tractor;
- (b) a hydraulic piping and pressure lines on the tractor supplied by the OEM as accessories, to be fitted on the tractor by their dealers which shall be terminated at the rear end of the tractor, to facilitate tapping of hydraulic line for trailer;
- (c) the hydraulic line pressure available at the rear end of the tractor shall be clearly specified by the manufacturer for each type and model of the tractor in the owner’s manual;
- (d) the tractor shall have the minimum provision for connecting the trailer brake actuation cable or linkage.”

3. In the principal rules, in rule 97, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that every agricultural trailer manufactured on or after 1<sup>st</sup> January, 2016 shall meet the following requirements for compliance to agricultural trailer brake system as per AIS:043-2005 specification, as amended from time to time, namely:-

- (a) fitment of the hydraulic braking system or inertia over-run braking system such as foundation brake (drum or disc, etc.) actuation systems on the trailer including the proportional or control valve;
- (b) type approval of agricultural trailer braking system requirements as per AIS-043-2005, as amended from time to time.”

[F. No. RT-11036/31/2010-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 27(E) dated the 13.01.2015.